भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 325

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

325. डॉ. टी सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान स्थापित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से अब तक तमिलनाडु सहित राज्यवार संवितरित ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अलग-अलग किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) जैसे विभिन्न हितधारकों को संवितरित किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सहित अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा), महिला उद्यमियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को प्रदान की गई सहायता अनुदान का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर इस योजना के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, बल्कि आधुनिक कटाई-पश्चात प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से कटाई-पश्चात नुकसान को कम करना और किसानों के लिए कीमतों की बेहतर प्राप्ति सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। देश में कटाई-पश्चात प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूदा कमियों को दूर करने के उद्देश्य से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की प्रमुख योजना 2020-21 में शुरू की गई थी, ताकि फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, जिससे किसान अपनी कृषि उपज को उचित रूप से संग्रहीत और संरक्षित कर सकें तथा कटाई-पश्चात कम नुकसान और कम बिचौलियों के साथ उन्हें बेहतर मूल्य पर बाजार में बेच सकें। वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, छंटाई और ग्रेडिंग यूनिट, राइपनिंग चैम्बर आदि जैसे बेहतर कटाई-पश्चात प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर से किसान सीधे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे और इस प्रकार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा। इसके अलावा, एआईएफ योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देकर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में सभी स्टेकहोल्डर्स को लाभान्वित करना है। एआईएफ के तहत, ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से 1 लाख करोड़

रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋण पर 9% की ब्याज दर सीमा है। यह योजना 2020-21 से 2032-33 तक चालू है।

इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की ऋण सीमा तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्वेंशन मिलती है। यह ब्याज सब्वेंशन अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज सब्वेंशन 2 करोड़ रुपए तक सीमित है। इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए माइक्रो और स्माल इंटरप्राजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप, प्राइमरी कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह , संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियां, राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघ, एफपीओ संघ और स्वयं सहायता समूह संघ शामिल हैं।

एआईएफ के तहत पात्र परियोजनाओं में कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं और व्यवहार्य कृषि संपत्तियां जैसे वेयरहाउस, साइलो, पैक हाउस, परख यूनिट, सार्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, प्राइमरी प्रसंस्करण केंद्र , एकीकृत प्राइमरी और सेकेंडरी प्रसंस्करण केंद्र , राइपनिंग चैम्बर, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, जैविक इनपुट उत्पादन, जैव उत्तेजक उत्पादन यूनिट, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म / हार्वेस्ट ऑटोमेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर , ड्रोन की खरीद, पीएम-कुसुम घटक ए, बी और सी के तहत स्टैंडअलोन सौर पंप और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों की स्थापना, फील्ड पर विशेष सेंसर लगाना, कृषि में ब्लॉक चेन और एआई, रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि स्वचालित मौसम केंद्र, जीआईएस अनुप्रयोगों के माध्यम से कृषि सलाहकार सेवाएं, एकीकृत स्पाइरुलिना उत्पादन और प्रसंस्करण यूनिट, रेशम उत्पादन प्रसंस्करण यूनिट, शहद प्रसंस्करण यूनिट, पौध संगरोध यूनिट, हाइड्रोपोनिक खेती, मशरूम खेती, वर्टिकल खेती, एरोपोनिक खेती, पॉली हाउस/ग्रीनहाउस आदि शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विस्तार को मंजूरी दे दी है। मुख्य उपायों में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की अनुमति देना शामिल है, जिसमें पात्र गतिविधियों में प्राइमरी प्रसंस्करण के साथ एकीकृत द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएं और एआईएफ को पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ एकीकृत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ को ऋण गारंटी सहायता प्रदान करने की योजना में एनएबी संरक्षण को भी शामिल किया गया है।

दिनांक 26.1.2025 तक, एआईएफ के तहत 92393 परियोजनाओं के लिए 56334 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं , इस कुल स्वीकृत राशि में से 41996 करोड़ रुपये योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 91856 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 24,477 कस्टम हायरिंग सेंटर, 19,030 प्राइमरी प्रसंस्करण यूनिट, 14,727 वेयरहाउस, 3,430 सार्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, 2,190 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ, लगभग 8,539 अन्य प्रकार की कटाई-पश्चात प्रबंधन परियोजनाएँ और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। दिनांक 26.01.2025 तक राज्यवार और लाभार्थी प्रकारवार संवितरण विवरण **अनुबंध में दिए गए हैं।**

(ग): एआईएफ योजना उधारकर्ताओं को सहायता अनुदान प्रदान नहीं करती है। हालांकि, यह 3% ब्याज सब्वेंशन और गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ऋण देने वाली संस्थाओं से किफायती ऋण की सुविधा प्रदान करती है, जिसका लक्ष्य 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला लाभार्थियों सहित पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ऋण स्वीकृत किए जाते हैं । हालांकि, मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के लिए ब्याज सब्वेंशन और गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए योजना के लिए बजट में एक अलग प्रावधान है। दिनांक 26 जनवरी, 2025 तक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 4,738 परियोजनाओं के लिए 1,411 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 19,417 महिला लाभार्थियों के लिए 12,268 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एआईएफ बैठकों और कार्यशालाओं के दौरान, पीएमयू, बैंकरों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को शामिल करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाता है। फंड का आगे उपयोग अभी भी खुला है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी सहित सभी पात्र लाभार्थियों के लिए सुलभ है।

(घ) और (ड.): दिसंबर 2023 में एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे द्वारा एआईएफ का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था , ताकि योजना के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके, जो मुख्य रूप से चयनित राज्यों के लाभार्थियों और किसानों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित था। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं

1. इस अध्ययन के आधार पर, एआईएफ के तहत कृषि क्षेत्र में निवेश से 9 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में से, लगभग 97% परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती हैं।

2. पीक सीजन में प्रति यूनिट नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या 11 पाई गई। यह औसत राजस्थान में सबसे अधिक अर्थात 27 तथा महाराष्ट्र राज्य में सबसे कम अर्थात 5 था।

3. इसके अलावा, एआईएफ के तहत बनाए गए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 550 एलएमटी स्टोरेज क्षमता को जोड़ा है जिसमें लगभग 510.6 एलएमटी शुष्क स्टोरेज और लगभग 39.4 एलएमटी कोल्ड स्टोरेज क्षमताएं शामिल हैं (26.01.2025 तक)। इस अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता से वार्षिक 20.4 एलएमटी खाद्यान्न और 3.9 एलएमटी बागवानी उत्पादों की बचत हो सकती है।

4. इस योजना के तहत बनाए गए कृषि प्रसंस्करण केंद्र किसानों की उपज का समय पर मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में 20% तक की वृद्धि हुई है और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है। इस योजना के तहत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और बेहतर फसल अवशेष प्रबंधन पद्धतियों को अपना रहे हैं ।

5. 31 प्रतिशत एआईएफ यूनिटों ने सरकारी सब्सिडी का भी लाभ उठाया है। इस प्रकार एआईएफ के अंतर्गत कंवर्जेन्स के कारण उन्हें लाभ हुआ है।

6. कुल यूनिटों में से लगभग 85 प्रतिशत के लिए एआईएफ ऋण की उपलब्धता यूनिट शुरू करने का मुख्य कारण थी।

अनुबंध

दिनांक 26.01.2025 तक राज्यवार और लाभार्थी प्रकारवार संवितरण विवरण

1. दिनांक 26.01.2025 तक एआईएफ ऋणों का राज्यवार संवितरण

राज्य	**वितरित संख्या**	**वितरित राशि (करोड़ रुपए)**
मध्य प्रदेश	10893	6245.1
महाराष्ट्र	8642	4171.4
पंजाब	19342	3982.1
उत्तर प्रदेश	6711	3384.7
कर्नाटक	3322	2551.5
गुजरात	3007	2114.8
हरियाणा	4470	2024.5
तेलंगाना	2289	1965.4
राजस्थान	2656	1926.1
तमिलनाडु	6625	1449.1
पश्चिम बंगाल	4091	1399.1
छत्तीसगढ	1529	1201.8
आंध्र प्रदेश	1620	1013.9
ओडिशा	2047	923.9
केरल	2334	639.7
बिहार	1008	613.1
असम	442	489.7
उत्तराखंड	380	272.6
झारखंड	291	226.1
जम्मू और कश्मीर	112	140.7
हिमाचल प्रदेश	509	121.4
दिल्ली	10	10.1
मेघालय	2	6.9
त्रिपुरा	4	6.7
गोवा	18	5.7
चंडीगढ़	4	4.7
अरुणाचल प्रदेश	5	3.9
नागालैंड	2	3.5
पुदुचेरी	3	2.1
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	1.0
मणिपुर	2	0.5
कुल योग	**82371**	**36901.7**

2. दिनांक 26.01.2025 तक लाभार्थी प्रकार-वार संवितरण

लाभार्थी का प्रकार	**वितरित संख्या**	**वितरित राशि (करोड़ रुपए)**
कृषि - उद्यमी	35347	26421.7
किसान	36333	7657.4
प्राइमरी कृषि क्रेडिट सोसायटी	7699	1094.3
स्टार्टअप	1732	1166.8
किसान उत्पादक संगठन	938	392.9
बहुउद्देशीय सहकारी समिति	131	66.0
राज्य एजेंसियां	6	8.0
स्वयं सहायता समूह	149	37.0
कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी)	20	40.0
विपणन सहकारी समिति	14	14.5
सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना	2	3.0
कुल	**82371**	**36901.7**

*****